(Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-6/2020 dated 7-4-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-A (3)-6/2020 Shimla-2, Dated: 7th April ,2021

NOTIFICATION

WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2020 were notified vide this department notification of even number dated 17.08.2020 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 19.08.2020 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) ;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) have been received during the stipulated period by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 notified vide this Department notification No. 5-24/88-TPT-III dated 12 July, 1999, namely :-

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Substitution of Rule 69-A**:**

2. For rule 69-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

"69-A. Composite fee for All India Permits.- There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates, in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India

Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:-

Sr. No.	Category of Vehicle	Rates
1	Having seating capacity to carry more than twelve passengers excluding driver.	**Ordinary/Deluxe Buses** ₹ 2500/- per day (13 to 32 seater) ₹ 3500/- per day (above 32 seater) **Luxury AC buses like Volvo, Mercedes etc.** ₹ 5000/- per day;
2	Having seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver.	**Seven to eight seater** ₹ 300/- per day **Nine to twelve seater** ₹ 500/- per day; and
3	Having seating capacity to carry not more than six passengers excluding the driver.	**Four to six seater** ₹ 200/- per day

Decision on days of operation will be taken on the basis of the tour programme associated with the permit, but if the vehicle is plied in the State without depositing the Composite Fee, then the additional fee which is equivalent to five times fee due in each category of vehicle shall be recovered from the defaulter.”.

By Order,

Kamlesh Kumar Pant
Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या टी०पी०टी०-ए(3)-6/2020 तारीख शिमला-2 7 अप्रैल ,2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मोटरयान (द्वितीय संशोधन) प्रारूप नियम, 2020 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17-08-2020 द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 19-08-2020 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान राज्य सरकार को कोई भी आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी०पी०टी-III, तारीख 12 जुलाई, 1999, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।
		(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 69-क का प्रतिस्थापन।	2	हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 69-क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"69-क. अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिए कम्पोजिट फीस.— पर्यटन यान, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन किसी अन्य

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, की बाबत कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	दरें
1	चालक को अपवर्जित कर के बारह यात्रियों से अधिक की बैठने की क्षमता वाले यान	**<u>साधारण/डीलक्स बसें</u>** ₹ 2500/- प्रतिदिन(13 से 32 सीटर) ₹ 3500/- प्रतिदिन(32 सीटर से अधिक) **<u>आरामदायक वातानुकूलित बसें</u>** जैसे वोल्वो, मरसडिज आदि ₹ 5000/- प्रतिदिन;
2	चालक को अपवर्जित करके छह यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियों से अनधिक की बैठने की क्षमता वाले यान	**<u>सात से आठ सीटर</u>** ₹ 300/- प्रतिदिन **<u>नौ से बारह सीटर</u>** ₹ 500/- प्रतिदिन; और
3	चालक को अपवर्जित करके छह से अनधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले यान	**<u>चार से छः सीटर</u>** ₹ 200/- प्रतिदिन

संचालन के दिनों पर विनिश्चय अनुज्ञापत्र से जुड़े दौरे के कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा, किन्तु यदि यान को राज्य में कम्पोजिट फीस को जमा किए बिना चलाया जाता है, तो अतिरिक्त फीस, जो यान की प्रत्येक श्रेणी को देय फीस के पांच गुणा के बराबर हो, व्यतिक्रमी से वसूल की जाएगी |" |

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार |